

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 18/01/2026

विषय:- "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, महुआ (वैशाली) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त रु० 539.55 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध राशि रु० 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०-309(1), दिनांक-07.03.2019 द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, महुआ (वैशाली) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त रु० 539.55 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़) मात्र की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

2- उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक- F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX) Bihar, दिनांक-22.07.2025, पत्रांक-F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-19 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-580/वि०, दिनांक-30.07.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में रु० 60.00 करोड़ की राशि इस परियोजना हेतु विमुक्त की गयी है।

3- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	आवटनादेश स० एवं दिनांक
1	2018-19	1 00.00.000	सं०-118(1)ब०, दिनांक-12 03 2019
2	2021-22	62.00.00.000	सं०-314(7), दिनांक-09 02 2022
3	2022-23	13.00.00.000	सं०-80(7), दिनांक-23 06 2022
4	2022-23	32.00.00.000	सं०-186(7), दिनांक-06 09 2022
5	2022-23	90.00.00.000	सं०-553(7), दिनांक-17 03 2023
6	2023-24	19.00.00.000	सं०-565(7), दिनांक-28 02 2024
7	2024-25	1.00.00.000	सं०-48(7), दिनांक-27 05.2024
8	2024-25	15.00.00.000	सं०-133(7), दिनांक-16 08 2024
9	2024-25	50.00.00.000	सं०-153(7), दिनांक-29 08 2024
10	2024-25	9.45.00.000	सं०-393(7), दिनांक-28 01 2025
11	2024-25	15.00.00.000	सं०-498(7), दिनांक-10 03 2025
12	2024-25	60.07.00.000	सं०-566(7), दिनांक-21 03 2025
13	2025-26	16.50.00.000	सं०-93(7), दिनांक-19 06 2025
14	2025-26	15.00.00.000	सं०-179(7), दिनांक-29 07 2025
15	2025-26	20.00.00.000	सं०-344(7), दिनांक-05 10
16	2025-26	20.00.00.000	सं०-444(7), दिनांक-15 12 2025
कल योग-		4,39,02,00,000/-	

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, महुआ (वैशाली) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त रु० 539.55 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध राशि रु० 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

5- उक्त कार्य विभागीय राज्यादेश सं०-309(1), दिनांक-07.03.2019 के निहित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के द्वारा कराया जायेगा।

6- यह व्ययदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8- इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-050-भूमि- 0103-नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड-20-4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0103-53-01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि/द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

9- वित्त विभागीय पत्र संख्या-632/वि०, दिनांक-04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या-10792/वि०, दिनांक-06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26" के लिए पूँजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID.....में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10- वित्त विभागीय पत्रांक-432/वि०, दिनांक-29.03.2023 एवं पत्रांक-580/वि०, दिनांक-30.07.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

11- प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।


12- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०स०-1/विविध-70/2018 के पृष्ठ-१/टि० पर प्राप्त है।

*hi*

13- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14- यह मात्र ब्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

  
(शंभु शरण) 28.1.26

सरकार के अपर सचिव

/स्वा0, पटना, दिनांक-28/01/2026

ज्ञापांक:-1/विविध-70/2018-


33 (7A)

**प्रतिलिपि:-** महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, वैशाली/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-**माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-7ए/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव उक्त सभी को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

  
28.1.26

सरकार के अपर सचिव।